भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5378
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम में जल जीवन मिशन

5378. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या असम राज्य सरकार द्वारा आदेशानुसार जल जीवन मिशन (जेजेएम) की लेखा-परीक्षा पूरी कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) यदि नहीं, तो कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है;
(ग) क्या असम ने वर्ष 2024 की निर्धारित समय-सीमा तक नल से जल की आपूर्ति वाले घरों का शत-प्रतिशत कवरेज पूरा कर लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा पूर्ण कवरेज प्राप्त करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;
(घ) असम में कितने घरों को नल से जल का कनेक्शन प्रदान किया गया है तथा इनमें से कितने नल वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं; और
(ङ) जेजेएम के तहत असम द्वारा ठेकेदारों को देय निधि का ब्यौरा क्या है, जो अभी तक जारी नहीं की गई है तथा उनके जारी किए जाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): असम सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जल जीवन मिशन पर असम राज्य सरकार द्वारा आदेशित लेखा परीक्षा का आयोजन शहरीकरण, भवन और पर्यावरण केंद्र (क्यूब), आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। असम सरकार क्यूब, आईआईटी मद्रास द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कार्रवाई करेगी।

(ग): असम में आज की तारीख तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत परिवारों का कवरेज 81.48% है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कुछ दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में, असम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य विभिन्न कारणों से वर्ष 2024 तक पूरे नहीं किए जा सके, जिनमें से कुछ कारण वर्षा ऋतु और बाढ़ की स्थिति में निर्माण कार्य पर लगने वाले प्रतिबंध हैं।

केंद्रीय बजट भाषण 2025 के दौरान, माननीय वित्त मंत्री ने वर्धित परिव्यय के साथ जेजेएम को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। असम सरकार ने इस अवधि के भीतर सभी लंबित कार्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

(घ): असम सरकार द्वारा जेजेएम आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 28 मार्च 2025 तक राज्य में कुल 58.87 लाख कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ङ): असम सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ठेकेदारों को देय निधि की राशि का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

****